सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–192/2016

बउनवान

रत्तीराम उम्र 50 वर्ष पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी कलमण्डा तहसील बारॉ जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारॉ जिला बारॉ
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री पिंकेश जगरवाल अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 10.08.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 29/2015 किस्म धारा 91 सपठित धारा 90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 मे पारित निर्णय दिनांक 28.7.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम कलमण्डा की भूमि किस्म बारानी ा सम्वत् 2071 रबी मे खसरा नम्बर 1129 की रकबा 0.08 हेक्टर भूमि पर ईटभट्टा लगाकर कृषि भूमि मे अकृषि कार्य करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 1500/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 11.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधि विरूद्व तरीके से ग्राम कलमण्डा तहसील बारॉ की खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.08 हेक्टर किस्म खातेदारी पर अतिक्रमी मानकर शास्ति एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एक तरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है, नही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली मे अपीलांट का बेदखलीनामा शामिल नही किया गया है तथा अतिक्रमण वाली आराजी की पैमाईश भी नही की है और नही पैमाईश रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न है तथा न ही कोई स्वतन्त्र गवाह प्रस्तुत किये गये है। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र

पटवारी हल्का के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के बयान भी नही लिये केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानो को आधार मानकर अपीलांट को सजायाब करने मे भारी भूल की है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 29/2015 किस्म धारा 91 सपठित धारा 90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 मे पारित निर्णय दिनांक 28.7.2015 से अपीलांट को वाके ग्राम कलमण्डा की भूमि किस्म बारानी I सम्वत् 2071 रबी मे खसरा नम्बर 1129 की रकबा 0.08 हेक्टर भूमि पर बिना स्वीकृति के ईटभट्टा लगाकर कृषि भूमि मे अकृषि कार्य करना सिद्व होने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 1500/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तामील करवाई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित रहा है, उक्त कृषि भूमि पर अकृषि कार्य ईटभट्टा लगाना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे सम्वत् 2069 मे राजकीय भूमि पर अतिचार करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 57/12 मे पारित निर्णय दिनांक 15.3.2013 से बेदखली की कार्यवाही की गई थी। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई, शास्ती एवं सिविल कारावास की सजा बहाल रखी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 सपठित धारा 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तहत पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां